"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 231] रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मई 2014— ज्येष्ठ 7, शक 1936

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-74/सात-3/2010. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा(2) सहपठित धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भूमि व्यपवर्तन नियम, 1962 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

अनुसूची में, शीर्षक अनुसूची के नीचे, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "(नियम 14 देखिए)" के स्थान पर, शब्द, अंक एवं कोष्ठक "[नियम 2(ग) देखिए]" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 10th March 2014

NOTIFICATION

No. F. 6-74/Seven-3/2010. — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 258 read with Section 172 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Diversion of Land Rules, 1962, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In the Schedule, below the heading SCHEDULE, for the word, figure and parentheses "(See rule 14)", the word, figure and parentheses "[See rule 2 (c)]" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
~ NIHALANI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.